न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– 51/2022
दायर दिनांकः– 20.05.2022
निर्णय दिनांकः– 07.06.2022

उनवान

1 श्री गोरवराज सिंह पुत्र तेन सिंह राजपुत निवासी राणावतों की सादडी।
2 श्रीमती कुसुमकुंवर पत्नी तेन सिंह राजपुत निवासी राणावतों की सादडी।
3 श्रीमती धापूकुंवर पत्नी पर्वतसिंह राजपूत निवासी राणावतो की सादडी।
4 श्रीमती मनीषा कुंवर पुत्री तेन सिंह राजपूत निवासी राणावतों की सादडी।
5 श्रीमती रचना कुवंर पुत्री तेन सिंह राजपूत निवासी राणावतों की सादडी।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री शंकर सिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी राणावतों की सादडी।
2 श्री जगपालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी राणावतों की सादडी।
3 श्री देवराज पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी राणावतों की सादडी।
4 श्री मांगु पिता डूंगा गाडरी निवासी राणावतों की सादडी।
5 श्री जालम पिता डूंगा गाडरी निवासी राणावतों की सादडी।
6 श्रीमती गुडडीकुवंर पत्नी चन्दन सिंह राजपूत निवासी राणावतों की सादडी।
7 श्री नरेन्द्र सिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत निवासी राणावतों की सादडी।
8 श्री रोडसिंह पिता कालुसिंह राजपुत निवासी राणावतों की सादडी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार–बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **राणावतों की सादडी** पटवार हल्का **पटोलिया** तहसील भूपालसागर की **आराजी संख्या 1285/191 रकबा 0.90 है, आ0सं0 187 रकबा 2.49 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नर शुल्क ... विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौका ... प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन ... हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज ... दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.08 17:32:50 IST
Reason: Self Attested

निर्णय आज दिनांक **07.06.2022** को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर